अपील जीसीएमएस संख्या 2025/576

1. सुबेसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभातीलाल,
2. देशराज पुत्र सुबेसिंह,
3. रंगराज पुत्र सुबेसिंह समस्त जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम खुशकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. हुकमबाई पुत्री स्व0 श्री मानसिंह पत्नी लीलूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा हाल निवासी सावण्ड तहसील दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)
2. उर्मिला पुत्री स्व० श्री मानसिंह पत्नी ओमपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा हाल निवासी मानहेरू तहसील भिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)।

— रेस्पोडेन्ट्स

3. ग्राम पंचायत महेशरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।
4. दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।

—— प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा अलवर आदेश दिनांक 16.09.2019 अपील संख्या 40/2007 उनवानी हुकमबाई बनाम ग्राम पंचायत महेशरा व अन्य जिसके द्वारा ग्राम पंचायत महेशरा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 का निरस्त किया दिया।

उपस्थित–

1. श्री राजाराम चौधरी वकील अपीलान्ट
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/577

1. महेन्द्र पुत्र लालसिंह,
2. राजेन्द्र पुत्र लालसिंह,
3. सतवीर पुत्र अभय सिंह,
4. वीरसिह पुत्र अभय सिंह,
5. गजराज उर्फ राजाराम पुत्र समय सिंह,
6. रामफूल पुत्र समय सिंह जाति अहीर निवासी सलारपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. हुकमबाई पत्नी लीलूसिंह जाति राजपूत निवासी सावण्ड तहसील दादरी हरियाणा।
2. उर्मिला पत्नी ओमपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मानहेरू तहसील भिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

संभागीय आयुक्त जयपुर

—रेस्पोडेन्ट्स

3. दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत महेशरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।

—प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा अलवर आदेश दिनांक 16.09.2019 अपील संख्या 40/2007 उनवानी हुकमबाई बनाम ग्राम पंचायत महेशरा व अन्य जिसके द्वारा ग्राम पंचायत महेशरा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 का निरस्त किया दिया।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री विजय माथुर वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/575

1. जगमाल पुत्र रामपत,
2. राजेन्द्र पुत्र रामपत समस्त जाति यादव (अहीर) निवासी ग्राम खुशकडा तहसील तिजारा जिला अलवर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. हुकमबाई पुत्री स्व0 श्री मानसिंह पत्नी लीलूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा हाल निवासी सावण्ड तहसील दादरी जिला भिवानी (हरियाणा)
2. उर्मिला पुत्री स्व० श्री मानसिंह पत्नी ओमपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा हाल निवासी मानहेरू तहसील भिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)।

– रेस्पोडेन्ट्स

3. दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।
4. ग्राम पंचायत महेशरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर।

– प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राज़स्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा अलवर आदेश दिनांक 16.09.2019 अपील संख्या 40/2007 उनवानी हुकमबाई बनाम ग्राम पंचायत महेशरा व अन्य जिसके द्वारा ग्राम पंचायत महेशरा द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 का निरस्त किया दिया।

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट की ओर से
2. श्री विजय माथुर वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रघुवीर सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–10.11.2025

उक्त तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2019 के विरूद्ध मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुंई है। तीनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु समान होने से तीनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

1. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 हुकमबाई व उर्मिला पुत्रीयां मानसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत महेशरा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक

19.09.1986 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड कर मृतक मानसिंह के वारिसान् की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 16.09.2019 को दिये गये।

2. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 16.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय दिनांक 16.09.2019 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम महेशरा तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित भूमि खसरा नम्बर 477 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से तथा खसरा नम्बर 478 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा के हिस्सा 76/94 अन्य भूमियों के साथ मानसिंह पुत्र हजारी सिंह जाति राजपूत निवासी महेशरा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। राजस्व भू–अभिलेखों में मानसिंह का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था। उपरोक्त खातेदार कृषक मानसिंह पुत्र हजारी सिंह का वर्ष 1986 में देहान्त हो गया और सभी रेस्पोडेन्ट्स की जानकारी तथा सहमति से मानसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 19/09/1986 ग्राम पंचायत ने दिलीप सिंह पुत्र मानसिंह के नाम तस्दीक कर दिया और उसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राज हो गये। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 19/9/1986 की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हुकमबाई व उर्मिला पुत्रीयान मानसिंह को भी प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी हैं।

5. दिलीप सिंह ने उपरोक्त वर्णित भूमि में भूमि खसरा नम्बर 477 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा में से अपने हिस्से 1/2 की भूमि अपीलांट देशराज व रंगराज पुत्रान सुबेसिंह को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/7/1993 द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 572 दिनांक 23/07/1993 को अपीलांट देशराज व रंगराज के नाम तस्दीक कर दिया गया। उसके आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राजात हो गये। इसी प्रकार दिलीप सिंह ने उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 478 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा के अपने हिस्से 1/2 की भूमि अपीलांट सुबेसिंह को एक पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/07/1993 द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 23/07/1993 को अपीलांट सुबेसिंह के नाम तस्दीक कर दिया गया और उसके आधार पर अपीलांट्स खातेदार काश्तकार होकर राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राजात हो गया। इसी प्रकार गत आराजी खसरा नं. 66 रकबा 7 बिस्वा, 74 रकबा 15 बिस्वा, 78 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्सा एवं खसरा नं. 75/532 के 1/6 हिस्सा व खसरा नं. 41 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 76 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा में से किता 3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 1/2 हिस्से के निस्फ भाग व रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के 1/6 भाग का निस्फ भाग व रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के 1/2 हिस्से को 50000/– रूपये में रामफूल, गजराज पुत्र समयसिह जाति अहीर ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 22.08.1994 बदलू पुत्र हरसहाय से खरीद किया है। इसी प्रकार शेष हिस्से को 50000/– रूपये में अभयसिंह, राजेन्द्र, राजाराम, महेन्द्र पुत्रान लालसिंह जाति अहीर ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा दिनांक 23.08.1994 से खरीद किया है। दिलीप सिंह द्वारा बदलूराम को आराजी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विक्रय की गई और बदलूराम से उक्त आराजी मिन अपीलांट्स ने क्रय की है। उक्त की पालना में इन्तकाल भी दर्ज होकर क्रेतागण वर्ष 1994 से बतौर काश्तकार खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

इसी प्रकार दलीप सिंह ने विवादित भूमि में अपना हिस्सा हाल खसरा नं. 496 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 497 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा को विक्रय पत्र वीरसिंह पुत्र शिवलाल गुर्जर को एवं खसरा नं. 492 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 494 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र वीरसिंह पुत्र शिवलाल को विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया एवं उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 569 स्वीकृत हो गया। वीरसिंह के मुख्तारआम श्री कर्मवीर पुत्र गोरधन ने उक्त खसरा नं. 492 एवं 496 में 1/2 भाग को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र 08.09.1993 को अपीलांट जगमाल पुत्र रामपत को एवं खसरा नं. 494 व 497 में 1/2 भाग अपीलांट राजेन्द्र पुत्र रामपत को जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र 08.09.1993 से विक्रय कर कब्जा दे दिया। तदानुसार अपीलांट्स जगमाल एवं राजेन्द्र काबिज खातेदार काश्तकार हो गये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 (हुकमबाई, उर्मिला पुत्रीयां स्व0 मानसिंह) को होने के पश्चात् भी दिनांक 12/7/2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19/09/1986 के विरूद्व 23 वर्ष पश्चात् एक अपील केवल प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट सख्या 3 व 4 (दिलिप सिंह एवं ग्राम पंचायत) को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत की। मौजूदा अपीलार्थीगण (क्रेतागणों) को पक्षकार बनाया ही नही गया। रेस्पोडेन्ट दिलीप सिंह उक्त भूमि विवादग्रस्त के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/7/1993 द्वारा विक्रय भूमि के सम्पूर्ण अधिकार पूर्व में अपीलार्थीगण में निहित हो जाने के तथ्यों का उल्लेख ना कर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई और उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जांच किये बिना ही दिनांक 16/9/2019 को अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 313 ग्राम पंचायत महेशरा के अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) फरमा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/7/1993 द्वारा उक्त भूमि क्रय कर राजस्व भू–अभिलेखों में अपीलार्थीगण का नाम अंकित हो जाने के पश्चात भी अपीलार्थीगण को उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया। अपीलार्थीगण (क्रेतागणों) को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है। मानसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 19/9/1986 की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हुकमबाई व उर्मिला पुत्रीयां स्व0 मानसिंह का प्रारम्भ से ही पूर्णजानकारी होने के पश्चात भी 23 वर्ष की समयावधि के पश्चात् वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये गलत तथ्य अंकित कर अपील प्रस्तुत की गई। अवधि बाधित अपील में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाना आवश्यक होता हैं। भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 477 व 478 पर दिनांक 13/7/1993 से ही अपीलार्थीगण (क्रेतागण) शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। 27 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर भूमि विवादग्रस्त पर क्रेतागण के तन्हा कब्जे में होने की वजह से यदि रेस्पोडेट संख्या 1 व 2 के किसी प्रकार के अधिकार भी थे, तो भी वे समाप्त हो गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि विवादग्रस्त के संबंध में ही रेगूलर वाद उर्मिला द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं उपरोक्त अपील को वाद के साथ हमफिता किये जाने का आदेश दिनांक 25/3/2013 को किये जाने के बाद भी उपरोक्त अपील की कार्यवाही को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थगित किया जाना कानूनी आवश्यक था तथा आदेश दिनांक 25/3/2013 के पश्चात उपरोक्त वाद में दिनांक 15/4/2013 को प्रार्थना पत्र धारा 212 का निर्णय किया गया। उसके पश्चात मूल वाद दिनांक 07/03/2018 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज हो गया। वाद में प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पेश किया गया जो विचाराधीन होने के पश्चात भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 17.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व प्रार्थना पत्र के उक्त अपील की पत्रावली को वाद की पत्रावली से पृथक किये जाने के आदेश दिये गये और आगामी तारीख 22.07.2019 नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हुकमबाई व उर्मिला पुत्रीयां स्व0 मानसिंह का अपीलाधीन भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा नही हैं। वास्तविक कब्जे के अभाव में अपील में कब्जे संबंध में परिणामिक अनुतोष चाहे बिना अपील संधारण योग्य नही थी। उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.09.2019 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 को बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 उर्मिला पुत्री मानसिंह के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पंचायत महेशरा पंचायत समिति तिजारा द्वारा तस्दीक इतंकाल संख्या 313 दिनांक 19.9.1986 में वर्णित आराजी हुकमबाई, उर्मिला के पिता श्री मानसिंह पुत्र हजारी सिंह जाति राजपूत तहसील तिजारा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वह अपने जीवन काल में काबिज व दाखिल था और उसके बाद मृतक मानसिंह के वारिसान काबिज व दाखिल चले आ रहे है। प्रार्थीगण को मुन्दर्जे इंतकाल में वर्णित आराजी जरिये विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर वह काबिज व दाखिल चली आ रही है। मौके पर वास्तविक कब्जा उनका है। दलीप सिंह चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने विरासत में मिली कब्जे काश्त की आराजी को अकेले हड़पने की नियत से हल्का पटवारी से साजबाज होकर इंतकाल संख्या 313 अपने नाम दर्ज करा लिया और ग्राम पंचायत महेशरा के सरपंच से मिलकर मंजूर करा लिया, जो इंतकाल हर सूरत में काबिले खारिज है। इंतकाल सं0 313 में मिन रेस्पोडेण्ट्स का हिस्सा बराबर बराबर 1/7, 1/7 भाग था जिस पर वह आज भी काबिज व दाखिल चले आ रहे है। अतः ग्राम पंचायत का आलोच्य आदेश दिनांक 19.9.1986 बाबत इंतकाल संख्या 313 वाके ग्राम महेशरा निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर द्वारा विधिवत् रूप से ही नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड कर मृतक मानसिंह के वारिसान् की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 16.09.2019 को दिये गये, जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण भूमि विवादग्रस्त के सद्भाविक क्रेतागण है। जिन्होने भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। तत्पश्चात् राजस्व अभिलेखों यथा नामान्तरकरण, जमाबन्दी इत्यादि में भी अपीलार्थीगण का नाम अंकित हो चुका है, उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार ही नही बनाया गया जिससे अपीलार्थीगण

—6—

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। ऐसे में अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने से न्यायहित में उनके प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित कथनों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत् पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक रेगूलर वाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उर्मिला द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 07.03.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है, जिसे प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पेश होने पर पुनः नम्बर पर लिया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उर्मिला द्वारा दिनांक 30.09.2019 को उक्त वाद विड्रो कर प्रश्नगत भूमि में अपने हक, हकूक, अधिकारों को छोड़ दिया गया है। मृतक खातेदार की शेष 04 पुत्रियों द्वारा तरतीबी रेस्पोडेन्ट दिलीप सिंह के पक्ष में अपना हकत्याग किया गया है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत समस्त भूमि को वर्ष 1993 एवं 1994 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विक्रय पत्रों को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। यह सर्वविदित है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकार के कोई हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को छोड़कर अन्य पुत्रियॉ अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.09.2019 को खारिज किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 19.09.1986 वाके ग्राम महेशरा को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।